राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 230/2017/जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, करापवंचन,जोधपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अजय ट्रेडर्स,
ए–213, शास्त्री नगर, जोधपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री एम.सी. लूनकर,
अधिकृत अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 27/04/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 59/आरवेट/जेयूबी/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2016 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति 91,376/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–प्रथम,प्रतिकरापवंचन, जोधपुर द्वारा दिनांक 06.01.2016 को वाहन संख्या आरजे–19/जीसी–6982 को चैक किया। वाहन में परिवहनित माल विभिन्न प्रकार की डाई के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को संदिग्ध पाये जाने के कारण वाहन मय माल को अधिनियम की धारा 76(5) के अन्तर्गत निरूद्ध किया गया। जांच अधिकारी द्वारा व्यवहारी फर्म को सुनवाई नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में अ0प्र0 द्वारा जवाब मय दस्तावेज पेश किये। जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण को अधिनियम की धारा 76(6) के तहत प्रकरण को उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर जोधपुर के आदेश दिनांक 08.01.2016 द्वारा पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गयी। सशक्त अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान कर, प्रस्तुत प्रतिउत्तर को अस्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 11.01.2016 द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् माल कीमतन रूपये 3,04,580/– पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रूपये 91,374/– प्रत्यर्थी फर्म के विरूद्ध आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी फर्म द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 24.08.2016 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए, आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

२७८

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताया एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि व्यवहारी फर्म द्वारा टैक्स/रिटेल इनवॉइस संख्या एसडीबीआरएक्स16/00588 दिनांक 06.01.2016 कीमत 4,07,116/– नग 59 प्रेषक मैसर्स जय कूमिकल इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 शाखा पाली टिन संख्या 08392406229 प्रेषिति मैसर्स अजय ट्रेडर्स जोधपुर टिन संख्या 08162600113, बिल जारी समय 3.34 पी.एम. के जरिये परिवहनीत माल का क्रय किया गया था जिसमें वक्त परिवहन कुल 47 नग भरे थे तथा वाहन में जगह कम होने के कारण शेष 12 नग को पीछे छोड़ना पड़ा। उक्त परिवहनीत माल का मूल बिल भूलवश वाहन चालक/माल प्रभारी साथ लाना भूल गये। वाहन चालक द्वारा वक्त जांच फर्म का गेट पास प्रस्तुत कर दिया था तथा मूल बिल को प्रेषिति फर्म के प्रोपराईटर द्वारा जांच स्थल पर पहुँच कर प्रस्तुत कर दिया था। फिर भी जांच अधिकारी के आधार पर सशक्त अधिकारी ने शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित राजस्थान राज्य बनाम डी.पी.मेटल (2001) 124 एस.टी.सी.पेज 611, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित केरा टेक इण्डिया बनाम स.वा.क.अ.,भिवाडी (2013)35 टेक्स अपडेट 49 तथा माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पूर्व पारित न्यायिक दृष्टान्त स.वा.क.अ. बनाम भोले बाबा मिल्स फूड इण्डिया जोधपुर (2013) 36 टेक्स अपडेट 227 व चम्बल वेली एग्रो प्रा0लि0, धौलपुर बनाम स.वा.क.अ. (2011) 45 टैक्स वर्ल्ड 46 आदि न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी फर्म द्वारा टैक्स/रिटेल इनवॉइस संख्या एसडीबीआरएक्स–16/00588 दिनांक 06.01.2016 कीमत 4,07,116/– नग 59 प्रेषक मैसर्स जय केमिकल इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 शाखा पाली टिन संख्या 08392406229 प्रेषिति मैसर्स अजय ट्रेडर्स जोधपुर टिन संख्या 08162600113, बिल जारी समय 3.34 पी. एम. के जरिये परिवहनीत माल का क्रय किया गया था जिसमें वक्त परिवहन कुल 47 नग भरे थे तथा वाहन में जगह कम होने के कारण शेष 12 नग को पीछे छोड़ना पड़ा। उक्त परिवहनीत माल का मूल बिल भूलवश वाहन चालक/माल प्रभारी साथ लाना भूल गये। वाहन चालक द्वारा वक्त जांच फर्म का गेट पास प्रस्तुत कर दिया था तथा मूल बिल को प्रेषिति फर्म के प्रोपराईटर द्वारा जांच स्थल पर पहुँच कर प्रस्तुत कर दिया था। जांच अधिकारी द्वारा जांच एवं सत्यापन के लिये रोके जाने के बावजूद भी जांच नहीं कर स्वयं के अनुमान के आधार पर प्रस्तुत दस्तावेजों को विधिक दस्तावेज नहीं मानने की भूल की है। जांच अधिकारी व सशक्त अधिकारी को प्रस्तुत दस्तावेज संदिग्ध होने का

लगातार.....3

संदेह था जो जाँचें फर्द एवं सत्यापन बाबत जारी सम्मन में उल्लेखित किया गया है तो इसके लिए प्रेषक/प्रेषिति फर्मो के यहा व्यवहार/दस्तावेज के genuine होने के संबंध में जांच की जानी थी, लेकिन सशक्त अधिकारी ने ऐसा नहीं कर शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है। अपीलीय अधिकारी ने इन समस्त तथ्यो को मध्यनजर रखते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त करने के किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है, एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.082.2016 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य